न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal223RTA2021-025 (GCMS 2021-100)

1. ओगडराम पुत्र हजारीराम
2. सुखाराम पुत्र हजारीराम
3. मु. अणदी पत्नी हजारीराम
4. ढोकलराम पुत्र रिडमलराम के कायममुकामान-
   4.1. श्रीराम पुत्र ढोकलराम
   4.2. विघा पत्नी मोहनराम पुत्रवधु ढोकलराम
   4.3. जगदीश पुत्र मोहनराम पौत्र ढोकलराम
   4.4. महेन्द्र पुत्र मोहनराम पौत्र ढोकलराम
   सभी जाति माली, निवासीगण नानण रोड, जटियों के मौहल्ले के आगे, पीपाडशहर जिला जोधपुर

अपीलाण्ड्स...

ब

ना

म

1. मन्दिर श्री गोवर्धनजी जरिये वर्तमान पुजारी निवासी गोवर्धननाथ जी का मन्दिर, तालाब पर सुभाष घाट के पास, पीपाडशहर, जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाडा (वर्तमान तहसील पीपाडशहर) जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर दिनांक 16 जनवरी 2006 राजस्व वाद संख्या 251/1996 मन्दिर श्री गोवर्धन जी बनाम ओगडराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री हेमराज सोनी, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री बी.एल. विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 02 नवम्बर 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 251/1996 मन्दिर श्री गोवर्धनजी बनाम ओगडराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 जनवरी 2006 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 फरवरी 2006 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 183 व 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 1277 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा व खसरा संख्या 1276 रकबा 07 बिस्वा चाही सोयम वाके मौज पीपाडशहर के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 जनवरी 2006 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से जबाबदावा पेश कर वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रस्तुत वाद का विरोध किया गया और जाहिर किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी वादी-रेस्पो. संख्या एक मंदिर गोवर्धनजी का कब्जा काश्त नहीं रहा, अपितु वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी हजारी पुत्र छगना ½ व थोकल पुत्र रिडमल ½ काबिज एवं खुदकाश्त होने से सेटलमेण्ट विभाग द्वारा इसी अनुसार पट्टा जारी किया गया। वर्तमान में हजारी का देहान्त हो चुका है और उसके हिस्से की भूमि बाबत उसके वारिसान का नाम दर्ज है। प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से अपने अभिकथनों की ताईद में समुचित साक्ष्य सबूत भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये। मगर

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करते हुए वादी-रेस्पो. संख्या एक का दावा डिकी कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में विरचित तनकियात में से तनकी संख्या 10 के अतिरिक्त अन्य सभी तनकियात परस्पर सम्बद्ध है। अपने वाद की ताईद में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-पक्ष द्वारा बतौर साक्ष्य सबूत नकल जमाबंदी संवत 2052-2055, राजस्व नक्शा ट्रेस तथा खतौनी बंदोबस्त तथा खसरा गिरदावरी संवत 2052-2055 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी, जो मात्र छायाप्रतियॉ होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और विधिवत प्रदर्श नहीं कराये गये दस्तावेजात के आधार पर कोई तथ्य साबित होना नहीं माना जा सकता है। वादपत्र के पद संख्या 2 में वादग्रस्त भूमि डोली नाम गोवर्धनजी के नाम संवत 2011 से 2021 में दर्ज होने बाबत अभिकथन किया गया है, पद संख्या तीन में इसी भूमि बाबत नाबालिग मूर्ति श्री गोवर्धनजी को बतौर डोलीदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बताया गया है जबकि प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा अपने जबाबदावा में वादग्रस्त भूमि मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त नहीं होना प्रकट किया गया है। डोली एवं जागीर रिजम्पशन के समय खुदकाश्त भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों बाबत काबिज काश्तकारान को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह पीडब्ल्यु एक मोहनदास द्वारा भी मुख्य परीक्षण के दौरान वादग्रस्त भूमि डोली की भूमि होना तथा वक्त सेटलमेण्ट धोकल व हजारी को खातेदारी अधिकार मिलने का कथन किया है और अन्य गवाह पीडब्ल्यु 2 ने भी जिरह में वक्त सेटलमेण्ट प्रतिवादी-पक्ष की काश्त होना ही स्वीकार किया है। प्रदर्श डी-1 पर्चा लगान में भी वादग्रस्त आराजी बाबत बतौर कृषक हजारी व धोकल का नाम लिखा हुआ है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो नजीरें जागीर रिजम्पशन के दौरान कृषक के खातेदार बनने के संबंध में प्रस्तुत की गयी, उनका समुचित परिशीलन नहीं किया गया। **एआईआर 2015 राजस्थान 179** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिन्दू देवता द्वारा डोलीदार अथवा माफीदार के रूप में धारित कृषि भूमि यदि पुजारी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त की जा रही है तो ऐसी भूमि बाबत जागीर एक्त 1952 लागू होने होते ही सारी जागीरे समाप्त हो जाना धारित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जहॉ क्लेम करने वाले तथा काश्त करने वाले के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध अस्तित्व में हो, उन मामलों में ही भूमि क्लेम करने वाले की खुदकाश्त होती है। वर्तमान मामले में वादग्रस्त भूमि स्वयं पुजारी की बजाय अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त किये जाने के कारण खुदकाश्त नहीं होने से वक्त सेटलमेण्ट एवं जागीर रिजम्पशन यह भूमि हजारी एवं धोकल के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना विधिसम्मतः है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जो अपास्त किये जावे। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि वादी-पक्ष द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत भी अनुतोष चाहा गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के शेड्युल में कम संख्या 23 पर कब्जा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करने की अधिकतम् समय सीमा 12 साल दर्शायी गयी है, जबकि आलौच्य मामले में बेदखली हेतु वाद-हेतुक सन् 1982 में उत्पन्न होने के बाद सन् 1994 तक 12 साल की अवधि पूर्ण होने तक कोई दावा पेश नहीं किया जाकर दिनांक 17 सितम्बर 1996 को दावा पेश किया गया है जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि दिनांक 12 मार्च 1982 को मोहनदास द्वारा 1851/- रूपये प्राप्त कर प्रतिवादीगण को आश्वस्त किया गया कि अब जमीन प्रतिवादीगण के नाम ही खातेदारी में रहेगी। अतः उक्त आचरण के कारण मन्दिर मूर्ति के न्यायमित्र के रूप दावा लाने हेतु उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। अन्त में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2015 लॉ सूट (राज) 1469 की नजीर पेश की।

02.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी डोली बंनाम मन्दिर मूर्ति की भूमि होने तथा मन्दिर मूर्ति शाश्वस्त अवयस्क होने के कारण ऐसी भूमि के संबंध में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू ही नहीं होता है। इसके अलावा जब सन् 1982 में वादी-रेस्पो. संख्या एक को वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति की जानकारी हुई, तब से ही उसके द्वारा सक्षम संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी, किन्तु सतत् प्रयासों के उपरान्त भी कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होने पर अन्ततः विचारण न्यायालय के समक्ष आलौच्य दावा प्रस्तुत किया गया। इन परिरिस्थितियों में दावा किसी भी सूरत में समय सीमा से बाधित नहीं माना जा सकता है और न ही किसी प्रकार से एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू होता है। सेटलमेण्ट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान में वादग्रस्त आराजी बाबत नाम भोक्ता मय पिता का नाम मंदिर मूर्ति पुजारी रामदास तथा नाम कृषक हजारी वल्द छगना ½ एवं धोकल पुत्र रिडमल ½ दर्ज किया गया है। जिससे जाहिर है कि शाश्वत नाबालिग होने के कारण डोली मंदिर मूर्ति की जमीन पुजारी अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त किये जाने पर भी स्वयं मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि की श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव मे आने के समय अर्थात संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड / दस्तावेजात को किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। प्रतिवादी-अपीलाण्ट एक ओर जहॉ वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त नहीं होने के आधार पर हजारी एवं धोकल की खातेदारी में दर्ज होकर विरासतन प्रतिवादी-पक्ष को प्राप्त होना जाहिर करते है, वहीं दूसरी ओर राशि रू. 1851/- प्रतिफल चुका कर खरीद करना बताते है। जाहिर है कि येन-केन-प्रकरेण अपीलाण्ट्स मंदिर मूर्ति की डोली की जमीन हडपना चाहते है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन एवं प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक परिशीलन किया गया। आलौच्य मामले में दावे, जबाब एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी है-

1. आया विवादित आराजियात नाबालिग मूर्ति मन्दिर की भूमि है? ... जिम्मे वादी
2. आया विवादित आराजियात में प्रतिवादीगण का नाम मिलावटी और पोशिदातौर पर तथा गैरकानूनी तरीके से दर्ज हुआ है? ... जिम्मे वादी
3. आया वाद का कारण दिनांक 1.6.1996 को पैदा हुआ? ... जिम्मे वादी
4. आया डोली व जागीर रिज्युम होने तथा मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त की नहीं होने से विवादित आराजियात मन्दिर मूर्ति की खातेदारी में न रह कर विधिसम्मतः तरीके से सेटलमेण्ट के दौरान प्रतिवादीगण के पूर्व हजारी व धोकल की खातेदारी में आयी है? ... जिम्मे प्रतिवादी
5. आया विवादित आराजियात में हजारी व धोकल उसके बाद प्रतिवादीगण का कब्जा एवं काश्त टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पहिले से चला आ रहा है? ... जिम्मे प्रतिवादी
6. आया वादी वादमित्र बनने के लायक नहीं है? ... जिम्मे प्रतिवादी
7. आया प्रतिवादीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार है? ... जिम्मे प्रतिवादी
8. आया लिखत दिनांक 12-3-62 के जरिये प्रतिवादीगण को वादमित्र ने भूमियों के समस्त अधिकार सुपुर्द कर दिये जिससे वादी एस्टोप्ड हो चुका है? ... जिम्मे प्रतिवादी
9. आया विपरीत कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण खातेदार हो चुके है? ... जिम्मे प्रतिवादी
10. आया दावा मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है? ... जिम्मे प्रतिवादी

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11. आया प्रतिवादीगण केवल कागजी खातेदार है? ... जिम्मे वादी
12. आया प्रतिवादीगण की हैसियत अतिकमी की है? ... जिम्मे वादी
13. आया वादी विवादित आराजियात की खातेदारी की घोषणा एवं डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी
14. आया वादी विवादित आराजियात का कब्जा मय हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी
15. आया वादी के विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? ... जिम्मे प्रतिवादी
16. आया प्रतिवादीगण वादीगण से खर्चा मुकदमा पाने के अधिकारी है? ... जिम्मे प्रतिवादी
17. दादरसी?

अपने वाद की ताईद में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजियात से संबंधित नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि पेश किये गये और मौखिक साक्ष्य में गवाह मोहनदास, अचलाराम, मांगीलाल आदि के बयान कराये गये। इसी प्रकार प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से अपने पक्ष में ट्रस्ट डीड की छायाप्रति तथा प्रदर्श डी-1 से डी-18 लगान की रसीदात पेश की गयी और गवाह सुखराम व श्रीराम के बयान कराये गये।

प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा उद्धरित नजीरों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या** 1 एवं इसी के समरूप **तनकी संख्या 2, तनकी संख्या** 11 **व तनकी संख्या** 13 का निस्तारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किया गया जिससे अदालत हाजा सहमत है क्योंकि सेटलमेण्ट विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत जारी पर्चा लगान संख्या 905 में नाम भोक्ता मय पिता का नाम गोवर्धनजी वाके देह बएतमाम पुजारी रामदास चेला हिम्मताराम साकिन देह दर्ज किया गया है और नकल जमबंदी संवत 2011 से 2030 में कॉलम संख्या तीन में मंदिर श्री गोवर्धनजी वाके देह बएतमाम पुजारी रामदास चेला हिम्मतराम साकिन देह डोलीदार दर्ज है। प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी2 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेज में वर्णित भूमि के

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नम्बर अंकित नहीं किये गये है और निष्पादक महन्त मोहनदास चेला श्रीरामदास द्वारा हजारी के पक्ष में निष्पादित उक्त दस्तावेज के पद संख्या दो में "...हकूक जमीन करसन तुक्हारा है और तुम ही बापीदार हो और इस पर करसण करने का हकूक तुम्हारा है और ½ पर अब से गुरजीयावाला जमीन करसण के बहक के रूपिया 1851 अखरे अठारा सौ इक्यावन आदि दिन रोकडा लेकर जमीन करसण का हकूक आपकों दे दिया है ....." अंकित किया गया हैं। जिससे बिना किसी सन्देह के यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि उक्त दस्तावेज **प्रदर्श डी2** कोई बेचाननामा अथवा भूमि अन्तरण पत्र नहीं होकर मात्र **भूमि काश्त पर दिये जाने संबंधित लिखतपत्र** है। जिसके आधार पर न तो वादग्रस्त आराजियात के संबंध में खातेदारी अधिकारो का कोई अंतरण होता है और उक्त दस्तावेज के कारण निष्पादक मोहनदास द्वारा मंदिर श्री गोवर्धनजी के वादमित्र के रूप में आलौच्य वाद प्रस्तुत करने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पडता है। बल्कि उक्त दस्तावेज के आधार पर भूमि वादी-रेस्पो. संख्या एक के द्वारा प्रतिवादी-पक्ष को काश्त हेतु दिया जाना सिद्ध हो जाता है जिससे वादग्रस्त आराजियात वादी-रेस्पो. संख्या एक की खुदकाश्त भूमि ही मानी जावेगी। चूंकि मंदिर मूर्ति स्वयं द्वारा हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान करते हुए कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में मंदिर मूर्ति बएतमाम पुजारी द्वारा निष्पादित उक्त लिखत मंदिर मूर्ति द्वारा निष्पादित मानते हुए मंदिर मूर्ति एवं काश्तकार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होने से **एआईआर 2015 राजस्थान 179** के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुरूप आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त की भूमि मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या 1, 2,11 व 13** के संबंध में पारित निष्कर्ष न्यायोचित होने से यथावत रखा जाता है।

जहॉ तक वादी-पक्ष को वाद-हेतुक उत्पन्न होने का प्रश्न है, सन् 1982 में वादी-रेस्पो. संख्या एक को वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति की जानकारी हुई, तब से ही उसके द्वारा सक्षम संबंधित

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पदाधिकारियों के समक्ष कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी, किन्तु सतत् प्रयासों के उपरान्त भी कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होने तथा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशों के उपरान्त भी परिपत्र दिनांक 13 दिसम्बर 1991 के अनुसार तहसीलदार द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर अन्ततः विचारण न्यायालय के समक्ष आलौच्य दावा प्रस्तुत किया गया। अतः इसी अनुरूप वादी-पक्ष को वाद-हेतुक उत्पन्न होना अवधारित किया जाना न्यायोचित है। इसके उपरान्त भी यदि तर्क के लिए प्रतिवादी-अपीलाण्ट के अनुसार वर्ष 1982 में ही वाद-हेतुक की उत्पत्ति मानी जावे, तो भी वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा सक्षम संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष कार्यवाही आरम्भ कर दिये जाने, किन्तु सतत् प्रयासों के उपरान्त भी कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होने पर बाद में प्रस्तुत दावा किसी भी नजरिये से समय सीमा से बाधित नहीं माना जा सकता है। अतः इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा उठाया गया आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या 3 व तनकी संख्या 10** बाबत पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अर्थात संवत 2012 में अथवा उसके पूर्व से वादग्रस्त आराजियात पर बतौर एडमिटेड टीनण्ट अपना कब्जा काश्त किसी भी साक्ष्य के आधार पर साबित करने में प्रतिवादी-अपीलाण्ट सफल नहीं हुए। साथ ही शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की डोली की भूमि बाबत एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू ही नहीं होता है। इन तथ्यों एवं तनकी संख्या एक व प्रदर्श डी-2 बाबत किये गये उपरोक्त विवेचन के आलोक में अदालत हाजा की विनम्र राय में **तनकी संख्या 4, 5 व 7, तनकी संख्या 6 व तनकी संख्या 8 व 9** बाबत स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखे जाते है।

तनकी संख्या 1 से 9 का निष्कर्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में पारित होने तथा वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी-पक्ष का कोई साधिकार वैधानिक कब्जा सिद्ध नहीं होने के कारण तनकी संख्या 12, 14, 15 व 16

02-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का निष्कर्ष प्रतिवादी-पक्ष के खिलाफ पारित किया गया है। जिससे अदालत हाजा सहमत है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ड्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 16 जनवरी 2006 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर